

15

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक अंग्रेजी स्कूल शिक्षा को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	शोभा वर्मा	English	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा	20-12-1960	31-12-2020
2	बक्सु खां	English	कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मेड़तासिटी, नागौर	15-06-1960	30-06-2020
3	महेश चन्द्र शर्मा	English	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर	24-06-1960	30-06-2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरभ स्वामी)
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर →

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था-1/अंग्रेजी/सेवानिवृत्ति/2020-21/08

दिनांक: 12/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

- 1 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 2 संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
- 5 सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से 10 रु के स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवावें।
- 7 संबंधित कार्मिक
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर